

सर्वोत्तम प्रमाणित

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता-वाराणसी वृत्त
आफिस कम शापिंग काम्पलेक्स, द्वितीय तल
जवाहर नगर भेलपुर, वाराणसी-221010
E-Mail: circle1@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS



पत्रांक- 1505

/ M-11

/ 131

दिनांक:- 12.09.2024

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के सुसंगत श्रेणी में पंजीकृत/अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से स्पर्धात्मक ई-निविदाये टू-बिड पद्धति पर राज्य सूचना केन्द्र (N.I.C) की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से आमन्त्रित की जाती है। ई-निविदायें की तकनीकी बिड निम्न तालिका के अनुरूप सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में फर्मों/ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। परीक्षणोपरान्त तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं का वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि व समय पृथक से सूचित किया जायेगा।

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य / प्रोसेसिंग शुल्क (जी०एस०टी० सहित) (रु० में)	कार्य पूर्ण करने अवधि	सम्बन्धित खण्ड का नाम
1.	जनपद-मऊ के जजेज आवासीय परिसर में श्रेणी-5 के 14 नग आवास के निर्माण कार्य।	बी०ओ०क्यू० के अनुसार	1347.00	26.00	8850.00	24 माह	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- वाराणसी-3, आजमगढ़।

ई-निविदा से सम्बन्धित समय सारिणी	तिथि व समय
Document Download start date	19.09.2024 (17:00)
Document Download End date	19.10.2024 (11:00)
Bid submission start date	19.09.2024 (17:00)
Bid submission/closing date	19.10.2024 (12:00)
Technical Bid opening date	19.10.2024 (13:00)
Financial Bid opening date	To be declared after opening of Technical Bid


ई-निविदा हेतु -

अ-निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग-अलग आर.टी.जी.एस के माध्यम से जमा किया जायेगा। आर.टी.जी.एस निम्नलिखित विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व दिनांक 18.10.2024 को अपराह्न 18:00 बजे तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। कार्यालय का पता व खाते का विवरण निम्नवत है।

खण्ड कार्यालय का पता : अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-03, आजमगढ़।
 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ब्रह्मस्थान, आजमगढ़।
 खाते का विवरण : UNION BANK OF INDIA, HIRAPATTI, AZAMGARH.
 खाता सं० : 465902010996582
 आई०एफ०एस० कोड : UBIN0546593

1. निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य, से सम्बन्धित आर०टी०जी०एस० का यूटीआर के नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
2. निविदा वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> निर्धारित समयावधि में उपलब्ध रहेगी। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार ६ फर्मों द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
3. निर्माण कार्य में प्रयुक्त किए जाने वाले खनिजों की रायल्टी के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
5. निविदाओं की बी०ओ०क्यू० में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार ६ फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों / फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर कार्य की अवशेष मात्रा का अवलोकन कर लें। निविदा स्वीकृति उपरान्त कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
6. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे एवं उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रु० 10% के नान ज्यूडिशियल शपथ स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
7. निविदादाताओं / फर्मों को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ०डी०आर०सी०डी०आर० के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-वाराणसी-03, आजमगढ़ के पक्ष में बंधक हो, जमा करनी होगी।
8. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह सञ्ज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
9. निविदादाता / फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी / गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
10. निविदादाता फर्म का वाणिज्यिक विभाग में जी०एस०टी० के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा उनके सभी देयकों से सभी प्रकार के टैक्सों जैसे- जी०एस०टी०, आयकर, लेबरसेस, आदि जो उ०प्र० सरकार द्वारा लागू किया जाता है, से सम्बन्धित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

1. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदाये अगले कार्य दिवसों को खोली जायेगी।
12. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष होगी एवं कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यों की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
13. समस्त कार्य उ०प्र० लोक निर्माण विभाग ६ परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
14. फर्म को विद्युतीकरण के कार्यों का वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
15. निर्माणाधीन भवन के आस-पास के भवनों के भवनों की टुट-फुट के सम्पूर्ण दायित्व निविदादाता का होगा, इसे सुनिश्चित करने का शपथ-पत्र के रु० 100/- के स्टाम्प पेपर पर तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
17. निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व इच्छुक निविदादाता / ठेकेदार / फर्म कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर ले, बाद में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त क्लेम मान्य न होगा।
18. किसी भी विवाद की दशा में न्यायाधिक क्षेत्र जनपद-मऊ होगा।
19. किसी भी प्रकार की प्रपत्रों की हार्ड कापी स्वीकार नहीं होगी।
20. निविदादाता द्वारा कार्यस्थल का लैटिट्यूड एवं लांगीट्यूड के साथ फोटोग्राफ्स अपलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
21. प्रस्तावित कार्यस्थल पर भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में यदि अन्यत्र भूमि उपलब्ध करायी जाती है तो भी कार्य ई-निविदा मे दो नयी दरों पर ही करना होगा। इस सम्बन्ध में फर्मठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
22. न्याय विभाग के साथ परिषद द्वारा किया गया एम.ओ.यू. अनुबन्ध अविभाज्य भाग होगा तथा एम.ओ.यू. में निहित समस्त शर्तों/ध्यायित्वों का अनुपालन फर्म द्वारा किया जाना बाध्यकारी होगा।
23. जी०पी०डब्ल्यू० फार्म-९ अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
24. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य कीमासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए एवं बार चार्ट संलग्न किया जाना होगा। प्रगति आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्युमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
25. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर निविदा की दर कम (Below) दर के लिए मान्य होगी एवं शासनादेश सं०-522/23-12-2012-2 आडिट / 08 टी०सी०-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी०ओ०क्यू० से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा (Performance Security Deposit) अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।
(अ) 10% Below दर तक 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
(आ) 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
26. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
27. परियोजना के पूर्ण होने पर उक्त को सम्बन्धित विभाग को सन्तोषजनक स्थिति में हस्तान्तरित कराने का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार ६ फर्म का होगा अन्तिम बीजक का भुगतान हस्तान्तरण के बाद किया जायेगा एवं सिक्वोरिटी की धनराशि प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट निर्गत होने के उपरान्त ही नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी।
28. प्रत्येक निविदा के साथ रु० 100/- के स्टैम्प पेपर पर रु० 1.00/- का रसीदी टिकट लगा कर दरों की वैधता 90 दिन तक वैध है, हेतु निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
29. निविदादाता द्वारा दी गयी दर 1% लेबर सेस सहित मानी जायेगी।
30. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
31. वित्तीय बिड कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-वाराणसी-03, आजमगढ़, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ब्रह्मस्थान, आजमगढ़ में खोली जायेगी जिसकी तिथि व समय ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से अवगत करायी जायेगी।
32. निविदा के नियमों व शर्तों के सम्बन्ध में निविदादाताओं को स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु उनकी एक प्री-बिडिंग बैठक दिनांक 14.10.2024 को कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-वाराणसी-03, आजमगढ़, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ब्रह्मस्थान, आजमगढ़ के सहायक अभियंता-प्रथम के कक्ष में अपरान्ह 12.00 बजे आयोजित की जायेगी।


(प्रशान्त वर्धन)


अधीक्षण अभियन्ता

पृ०सं०- 1505 / 322 /

दिनांक 12.09.2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (म०), ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-वाराणसी-03, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, आजमगढ़।
4. अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, वाराणसी वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी।
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड।


अधीक्षण अभियन्ता